राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक:पीएस/पीएचएस/2011 दिनांक: 22.12.2011

समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषयः– राज्य के सेवारत् चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सेवाऐं उपलब्ध कराने के सम्बधं में।

राज्य के सेवारत् चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में आमजन को वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सेवाऐं उपलब्ध कराने के सम्बधं में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

- सम्भागीय स्तरीय अस्पतालों व जिला अस्पतालों पर मेडिकल कालेज से आवश्यक विषय विशेषज्ञ चिकित्सक जैसे–मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स एंव गायनी विभाग में 2 चिकित्सक प्रति 8 घण्टे की पारी में लगाये जावें। साथ ही इन्टर्नस की सेवायें भी ली जायें।
- किसी भी परिस्थिति में किसी भी चिकित्सक का कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावें, यदि फिर भी कोई चिकित्सक अनाधिकृत अवकाश पर रहता है तो उनके खिलाफ सेवा नियमों के अर्न्तगत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को अविलम्ब भिजवावें।
- पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी वैकल्पिक चिकित्सकीय व्यवस्था एंव सहायक चिकित्सकीय व्यवस्थायें समय पर सुनिश्चित की जावें।
- प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों के उक्त कृत्यों को राज्य सरकार ने जन विरोधी घोषित करते हुये चिकित्सा सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु राजस्थान आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (रेस्मा) आगामी तीन माह के लिये प्रभावी कर दिया गया है।
- प्रदेश के सार्वजनिक एंव निजी मेडिकल कालेज/चिकित्सालय/नर्सिगं होम्स आदि की आवश्यक सेवायें आवश्यकतानुसार ली जावें। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जावें।

- इसके साथ ही सेवानिवृत चिकित्सकों, बेरोजगार चिकित्सको, रेडक्रोस, मेरीस्टोप्स एंव आयुष/आयुर्वेद चिकित्सकों एंव नर्सिगं छात्रों की भी सेवायें भी ली जा सकती है।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं/सैनिक अस्पतालों/रेल्वे अस्पताल से आवश्यकता पडने पर उनके सक्षम अधिकारियों से सर्म्पक कर आमजन की सेवार्थ आवश्यक सेवाऐ भी ली जा सकती है।
- वृद्धजन एंव पेंशनर्स को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने में प्राथमिकता देते हुये पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
7. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा
एंव स्वास्थ्य विभाग